

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिंडेल (RAS)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या:- 05/2015

निर्णय दिनांक :- 23.02.2021

<u>प्रार्थी</u>	<u>बनाम</u>	<u>अप्रार्थी</u>
1. प्रथा पिता तेजा झील नि. - गिलुंड (भूपालसागर)		1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर

राजस्व प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 136 राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956

* निर्णय *

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

1. यह है कि ग्राम गिलुंड प.ह. ताणा में स्थित वादग्रस्त आराजियात आ.न. 331/2 रकबा 8.91 बीघा भूमि गैर खातेदारी दर्ज थी, जिसे दिनांक 20.07.1970 को खातेदारी दर्ज की गई। उक्त भूमि को वर्तमान में बंजड़ में आ.न. 664/449 रकबा 0.23 हैक्टर व आ.न. 663/448 रकबा 0.37 हैक्टर दर्ज कर दिया गया।

2. यह है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजियात मुझ प्रार्थी के नाम नहीं होकर भू-प्रबन्ध व राजस्व अधिकारियों की झूल से बंजड़ दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के नाम पर 0.88 हैक्टर भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। जिसे प्रार्थी ने इन्ड्रज दुरुस्ती हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्ट्र कर तहसीलदार भूपालसागर को सम्मन जारी किया गया एवं तहसीलदार भूपालसागर द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया गया जिसमें बताया गया कि वादीगणों का मौके पर कब्जा नहीं होने से वक्त सेटलमेन्ट खिलानाम दर्ज हो गयी है, जो सही है। वादी का कब्जा नहीं होने से वाद खारिज योग्य है।

हमने तहसीलदार भूपालसागर के जवाब प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रार्थी वकील एवं सरकारी

— लगातार —

पैरोकार की वरस सुनी गयी। तत्पश्चात् प्राप्ति का प्रार्थना-पर
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य
नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तस्मि पत्रावली क्रिसल
शुमार लेकर नम्बर से कम लेकर दाखिल दफ्तर हे।

निर्णय आज दिनांक 23-02-2024 को खुले न्यायालय में
सुनाया गया।



23/02/2024
सुखाराम पिण्डेल (RAS)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला - पाली (रा.ज.)